**संख्याः-21/2016/5078/सोलह-1-2016-13(4)/2016**

**प्रेषक,**

**मोनिका एस0 गर्ग,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**कुलपति,**
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

**प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1** **लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2016**

**विषयः- प्रदेश में स्थापित निजी अभियंत्रण संस्थाओं को पूर्णतया बन्द करने (Instant/Complete Closure) तथा उसमें अध्ययनरत छात्रों को अन्यत्र संस्थाओं में समायोजित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-23(2) में निम्नवत् व्यवस्था प्राविधानित हैः-

"कार्यपरिषद्, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति/अनुमोदन से सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायें, पूरा करने वाले विद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से ही सम्बद्ध किसी विद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।"

2. गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की प्रथम विनियमावली, 2010 (वर्तमान डा0 ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ) के अध्याय-6 के विनियम 6.27 में निम्नवत प्राविधान किये गये हैंः-

"यदि एक सम्बद्ध महाविद्यालय विद्यमान पाठ्यक्रमों की असम्बद्धता या समापन चाहता है तो वह मामले के गुण-दोष के परीक्षणोपरान्त विशेष रूप से अन्तर्ग्रस्त छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को आवेदन कर सकता है जो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करेगा और कार्य-परिषद के निर्णय के माध्यम से पाठ्यक्रमों की समाप्ति के लिए अनुमति प्रदान करेगा।"

3. इसी प्रकार ए0आई0सी0टी0ई0 की एप्रुवल प्रोसेस हैण्डबुक 2016-17 में सम्बद्ध कालेजों के पाठ्यक्रमों के समापन के उपरान्त बन्द किये जाने वाले कालेजों में अध्ययनरत छात्रों के अन्य संस्थानों में समायोजन हेतु प्राविधान है।

4. प्रदेश में स्थापित निजी अभियंत्रण संस्थाओं को पूर्णतया बन्द करने (Instant/Complete Closure) तथा उसमें अध्ययनरत छात्रों को अन्यत्र संस्थाओं में समायोजित करने हेतु कतिपय प्रस्ताव/अनुरोध शासन/विश्वविद्यालय में प्राप्त होते है और पूर्व से ऐसे प्रकरणों में विश्वविद्यालय/शासन द्वारा कुछ संस्थानों को पूर्णतः बन्द करने के निर्णय लिये गये हैं, किन्तु कोई नीति/प्रक्रिया निर्धारित न होने के फलस्वरूप ऐसे प्रकरणों में पारदर्शिता एवं एकरूपता से कार्यवाही नहीं हो पाती है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. इस सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन के उपरान्त शासन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-36(क) में प्राविधानित शक्तियों के अंतर्गत निम्नवत् कार्यवाही किये जाने विषयक प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) संस्थान को पूर्ण रूप से बन्द करने की इच्छुक संस्था के आवेदन पर शासन एवं विश्वविद्यालय की अनापत्ति के उपरान्त सम्बन्धित Statutory Body से Instant Closure (पूर्ण बंदी) की अनुमति प्राप्त की जाय। किसी शैक्षिक सत्र हेतु संस्था का आवेदन पत्र पिछले वर्ष की 31 जनवरी तक प्राप्त हो जाना चाहिए। (उदाहरणतः यदि संस्था सत्र 2017-18 में Instant Closure चाहती है, तो उसे 31 जनवरी, 2017 तक आवेदन करना होगा।)

(2) जिस संस्था द्वारा प्रोग्रेसिव क्लोजर की अनुमति प्राप्त की जा चुकी हो, उसी संस्था को विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया/कार्यवाही करते हुए शासन के पूर्वानुमोदन से बन्द करने एवं छात्रों के अन्य संस्थाओं में समायोजन की कार्यवाही की जायः-

(क) आवेदक संस्था द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में संस्था एवं छात्रों का पूर्ण विवरण यथा-ब्रान्चवार प्रवेशित छात्रों की संख्या (छात्रों की श्रेणी एवं छात्रवृत्ति सहित), छात्रों की वार्षिक ट्यूशन फीस एवं अन्य लिया जाने वाला शुल्क आदि, शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की देनदारियां, संस्था के विरूद्ध लम्बित कोर्ट केसेज आदि का विवरण दिया जाय। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त सूचनाओं हेतु एक प्रारूप निर्धारित करके 31 दिसम्बर तक अपनी वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा, जिस पर आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा जिसकी हार्डकापी शासन में प्राप्त कराई जाएगी।

(ख) आवेदक संस्था द्वारा अपने आवेदन-पत्र के साथ उन संस्थाओं की सूची उपलब्ध करायी जायेगी जो उसके छात्रों को समायोजित करने की इच्छुक हों। आवेदक संस्था द्वारा ही इन स्वीकर्ता संस्थाओं से सूचना प्राप्त करके ब्रान्चवार एवं वर्षवार रिक्त सीटें, ट्यूशन फीस, अन्य शुल्क तथा गत तीन वर्षों के प्रवेशित छात्रों की संख्या एवं छात्रों के उत्तीर्ण होने के प्रतिशत का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) आवेदन प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी तक आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं की यथार्थता पर अपनी टिप्पणी शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि उक्त नियत समय तक विश्वविद्यालय द्वारा टिप्पणी शासन को उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना पर विश्वविद्यालय की सहमति मानते हुए शासन द्वारा काउन्सिलिंग के लिए निर्देशित कर दिया जायेगा।

(घ) छात्रों के समायोजन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं छात्रों के हित में उक्त स्वीकर्ता संस्थाओं के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा समायोजन की इच्छुक अन्य संस्थाओं को भी चिन्हित किया जाएगा। ऐसी सभी संस्थाओं की सूची पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी तक अपनी बेवसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी, जिससे छात्रों द्वारा अपनी च्वाइस के अनुसार संस्थाओं का चयन किया जा सके।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ड) ऐसे छात्रों की काउन्सिलिंग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी तक एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा आनलाइन काउन्सिलिंग सुनिश्चित करायी जायेगी।

(च) छात्रों द्वारा 15 मार्च तक अपनी वरीयता क्रम में संस्थाओं की च्वाइस दी जायेगी।

(छ) छात्रों की मेरिट के अनुसार काउंसिलिंग कर के संस्थानों का चयन कराया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया दिनांक 15 अप्रैल तक पूर्ण कर ली जाएगी।

(ज) समायोजन/स्थानान्तरित किये जाने वाले समस्त छात्रों की ट्यूशन फीस/अन्य शुल्क का अन्तर आवेदक संस्थान अथवा स्वीकर्ता संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा। इस आशय की सुस्पष्ट अण्डर टेकिंग संबंधित स्वीकत्र्ता संस्थान देगा जिसमें छात्रवार धनराशि का तथा उसके द्वारा शेष वर्षों में देय शुल्क का विवरण अंकित किया जायेगा। इसका प्रारूप भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(झ) छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आदि कराने का दायित्व स्वीकर्ता संस्था का होगा।

(ञ) स्वीकर्ता संस्था का उत्तर दायित्व होगा कि वह Statutory Bodies (यथा वास्तुकला परिषद, फार्मेसी परिषद आदि संस्थाओं) से यथा समय आवश्यक विधिक अनापत्ति प्राप्त करे।

(त) संस्था की पूर्ण बन्दी हेतु आवेदन पर शासन का निर्णय 30 अप्रैल तक संस्था एवं विश्वविद्यालय को संसूचित किया जायेगा। तदुपरान्त 15 मई तक संस्था की सम्बद्धता/असम्बद्धता की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

(3) प्रक्रिया की समय-सारणी निम्नवत् होगी:-

| **क्र0सं0** | **कार्यवाही** | **प्रस्तावित तिथि** |
|---|---|---|
| 1. | विश्वविद्यालय द्वारा प्रारूप निर्धारित कर वेबसाईट पर प्रदर्शित करने की तिथि | 31 दिसम्बर |
| 2. | संस्था बन्द करने हेतु आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि | 31 जनवरी |
| 3. | संस्था के आवेदन पर विश्वविद्यालय की टिप्पणी शासन को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि | 28 फरवरी |
| 4. | समायोजन हेतु इच्छुक संस्थाओं की सूची को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने की तिथि | 28 फरवरी |
| 5. | काउन्सिलिंग हेतु कमेटी का गठन | 28 फरवरी |
| 6. | संस्था के छात्रों द्वारा समायोजन हेतु च्वाईस/वरीयता देने की अन्तिम तिथि | 15 मार्च |
| 7. | विश्वविद्यालय द्वारा कमेटी के माध्यम से काउन्सिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने की अन्तिम तिथि | 15 अप्रैल |
| 8. | संस्था के आवेदन पर शासन द्वारा निर्णय लिये जाने की अन्तिम तिथि | 30 अप्रैल |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| 9. | संस्था की सम्बद्धता/असम्बद्धता की कार्यवाही पूर्ण करने की अन्तिम तिथि | 15 मई |

(4) जिस संस्थान को बंद करते हुए छात्र समायोजित किये जा रहे हैं, उस संस्थान को पुनः प्रारम्भ करने की अनुमति 05 वर्ष तक नहीं दी जायेगी। प्रोग्रेसिव क्लोजर की स्थिति में छात्र का समायोजन आवश्यक नहीं होगा तथा बंद किये जा रहे संस्थान में उनका पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जायेगा।

5. कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीया,

**( मोनिका एस0 गर्ग )**

प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।